न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रकरण संख्या 03 /2017

प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये

श्री गणेशा, मेघरा, चाला पिता ~~पीरा कौम~~ रेबारी सा० खारवा

दिनांक 17.7.17

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. पटवारी हलका भाखरपुरा

2. अप्रार्थी श्री गणेशा, चाला

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार हैं । पटवारी हलका भाखरपुरा ने न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि ~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण ने सरहद मौजा खारवा सरकारी भूमि ख.नं. 491 कुल रकबा 718.16 किस्म गै. मु. गोचर मेंसे 1.12 बीघा भूमि पर बाड़ बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया हैं , अतः इन्हें बेदखल किया जावे । अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर ~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया ।अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर आया , जिसे शामिल पत्रावली किया गया । सर्कल परिवर्तन होने से पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी से स्थान्तरित होकर इस न्यायालय के प्राप्त हुई हैं ।

नियत तारीख पेशी दिनांक 17.7.17 को प्रार्थी पटवारी हलका तथा ~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण श्री गणेशा, चाला उपस्थित , ~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण ने जबाब पेश नहीं किया तथा जबाब पेश नहीं करना चाहता, उक्त भूमि पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया । अतः ~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण की शहादत बन्द की जाती हैं । शेष अप्रार्थी नोटिस तामिल के बाद भी अनुपस्थित है अत एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 11:53:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी पटवारी हलका ने ~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण को बेदखल करने तथा दण्डित करने का निवेदन किया

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा अवलोकन किया । उक्त भूमि पर ~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण के अतिकमण की पुष्टि होती हैं अतः ~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण को उक्त भूमि का अतिकमी घोषित किया जाता हैं

तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं । यदि मौके पर फसल खडी हो तो नष्ट कर दी जावे। लगान ....2.30........ रूपये का बीस गुणा ....46........ अक्षरे रूपये ....छियालीस........ शास्ति जुर्माना आरोपित की जाती हैं , जो वसूल हो । जुर्माना मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तथा जुर्माना वसूली तथा बेदखली हेतु पटवारी हलका सूचित हो ।

निर्णय दिनाक ....12.7.17.... को खुले न्यायालय में सुनाया गया , पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । बाद तामिल दफतर दाखिल हो ।

(जोधसिंह)

तहसीलदार गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 11:53:41 IST
Reason: SelfAttested